पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

महेंद्र साह एवं अन्य

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य

2017 की आपराधिक विविध वाद संख्या 9472

20 सितंबर 2023

(माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह)

विचार के लिए मुद्दा

क्या पारित आदेश, जिसमें याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498(ए) एवं 379 के अंतर्गत संज्ञान लिया गया, विधि के अनुसार टिकाऊ था जबकि शिकायत में केवल सामान्य आरोप लगाए गए थे और याचिकाकर्ताओं की विशिष्ट भूमिकाएँ नहीं बताई गई थीं।

हेडनोट्स

दिनांक 03.01.2017 का आदेश, जिसके द्वारा विचारण न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध संज्ञान लिया है, त्रुटिपूर्ण है और इसे बिना किसी न्यायिक विवेक के यांत्रिक ढंग से पारित किया गया है, साथ ही प्रचलित विधि पर विचार नहीं किया गया तथा व्यक्तिगत आरोपित व्यक्तियों सहित याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर ध्यान नहीं दिया गया, अतः यह आदेश निरस्त किया जाना आवश्यक है। - शिकायत पत्र का सरल अवलोकन यह दर्शाता है कि उसमें लगाए गए आरोप प्राथमिक दृष्टि से किसी अपराध का गठन नहीं करते, जिससे याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध मामला बन सके। (पैरा 8, 9)

याचिका स्वीकार की जाती है। (पैरा 11)

न्याय दृष्टान्त

प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य, **(2010)** *7* **एससीसी 667**; गीता मेहरोत्रा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, **(2012) 10 एससीसी** *741*; पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक दंडाधिकारी, **(1998) 5 एससीसी** *749*; महमूद उल रहमान बनाम खाज़िर मोहम्मद टुंडा, **(2015) 12 एससीसी** 420

अधिनियमों की सूची

भारतीय दण्ड संहिता, 1860–धारा 498(ए) एवं 379; दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973–धारा 482

मुख्य शब्दों की सूची

संज्ञान की निरस्तीकरण; दहेज उत्पीड़न; सामान्य आरोप; न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग; ससुराल पक्ष के विरुद्ध आपराधिक मुकदमा; दंडाधिकारी का यांत्रिक आदेश

प्रकरण से उत्पन्न

शिकायत मामला संख्या 941/2016 (वाद संख्या 702/2017), थाना रोहतास, जिला रोहतास।

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से : श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह, श्री राजीव कुमार, अधिवक्ता

विपक्षी पक्ष की ओर से : श्री भरत भूषण, एपीपी

विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से : श्री अजय नंदन साहार, श्री रजनीश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया**:** अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2017 की आपराधिक विविध वाद संख्या 9472

थाना कांड सं.-941 वर्ष-2016 थाना-रोहतास, शिकायत मामला जिला-रोहतास से उद्भूत

===

1. महेंद्र साह, पिता-स्वर्गीय हीरा साह
2. कुसुम देवी @ कुसुम कुमारी, पति- महेंद्र साह
3. प्रवीण शशि।
4. नीरज शशि, दोनों के पिता- महेंद्र साह
5. नीलम शशि, पिता- महेंद्र साह , पति-मनोज कुमार
6. वीणा देवी @ वीणा कुमारी, पति-प्रवीण शशि। सभी का पता - रामगढ़ कैंट, ईशर पेट्रोल पंप के सामने, प्रताप नगर, नई सराय, थाना और जिला - रामगढ़, झारखंड

.... याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. बिहार राज्य
2. कंचन कुमारी, पिता -श्री हीरालाल प्रसाद, पति- पंकज शशि, वर्तमान पता- गोला रोड, नोखा, सदर अस्पताल के समीप, थाना- नोखा, जिला-रोहतास

.... विपक्षी/गण

===

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए	:	श्री जितेंद्र प्रसाद सिंह, अधिवक्ता
	:	श्री राजीव कुमार, अधिवक्ता
विपक्षी दलों के लिए	:	श्री भारत भूषण, स. लो. अ.
विपक्षी दल सं. 2 के लिए	:	श्री अजय नंदन सहर, अधिवक्ता
	:	श्री रजनीश कुमार मिश्रा, अधिवक्ता

===

कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री मोहित कुमार शाह

मौखिक निर्णय

दिनांक : 20-09-2023

1. वर्तमान याचिका अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम (रोहतास) द्वारा पारित आदेश, जो दिनांक 3.1.2017 को 2016 का शिकायत मामला सं. 941 (2017 का विचारण सं. 702), से सम्बंधित है, को अपास्त करने के लिए दायर की गई है, जिसके द्वारा और जिसके तहत याचिकाकर्ताओं और अन्य के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) और 379 के तहत संज्ञान लिया गया है।

2. शिकायतकर्ता-विपक्षी पक्ष सं. 2 के अनुसार अभियोजन पक्ष का मामला संक्षिप्त में यह है कि, उसकी शादी हिंदू संस्कारों और अनुष्ठानों के अनुसार पंकज शशि के साथ 11.03.2011 को हुई थी, जिसके दौरान, विपक्षी पक्ष सं. 2 के माता-पिता ने दहेज के रूप में 3 लाख रुपये नकद दिए थे, हालांकि, आरोपी व्यक्ति आभूषण की मांग कर रहे थे, फिर भी, विपक्षी पक्ष सं.2 अपने ससुराल गई थी और कुछ समय बाद आरोपी व्यक्तियों ने विपक्षी पक्ष सं. 2 पर उसके पिता से दहेज़ के रूप में 3 लाख रूपये और आभूषण मांगने का दबाव बनाने लगे, और ऐसा करने से इनकार करने पर, उन्होंने उसे परेशान करना और पीटना शुरू कर दिया। शिकायत याचिका में यह भी कहा गया है कि विपक्षी पक्ष सं. 2 का मानना था कि समय के साथ, स्थिति में सुधार होगा, लेकिन आरोपी व्यक्तियों ने उसे परेशान करना बंद नहीं किया और 15.02.2015 को, उन्होंने उसके शरीर पर मिट्टी का तेल डालकर उसे मारने की कोशिश की थी, हालांकि, शोर मचाने पर, पड़ोसी लोग और पुलिस आ गई थी, जिसके बाद विपक्षी सं.2 और आरोपी व्यक्तियों के बीच समझौता हो गया और फिर विपक्षी पक्ष सं 2 फिर से अपने ससुराल चली गई थी। इसके बाद यह आरोप लगाया गया है कि कुछ दिनों के बाद, आरोपी व्यक्तियों ने फिर से विपक्षी सं. 2 को फिर से परेशान करना शुरू कर दिया और 07.08.2016 को, उन्होंने उसे पीटा था और उसके गहने और कपड़े भी छीन लिए, जिसके बाद विपक्षी सं. 2 के पति और अन्य लोगों ने उसे जबरन एक कार में बिठाया, उसे एक अज्ञात स्थान पर ले गए और उसे वहाँ छोड़ दिया, जिसके बाद वे भाग गए, हालाँकि, किसी तरह वह अपने माता-पिता के घर पहुँच गई।

3. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि जहां तक याचिकाकर्ताओं का संबंध है, याचिकाकर्ता सं. 1 विपक्षी पक्ष सं. 2 का ससुर है, जबकि याचिकाकर्ता सं 2 सास है, याचिकाकर्ता सं. 3 और 4 का देवर हैं और याचिकाकर्ता नं 5 और 6 विपक्षी पक्ष सं.2 की ननद हैं और कथित घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि विचाराधीन घटना पति-पत्नी अर्थात विपक्षी पक्ष सं. 2 और उसके पति पंकज शशि के बीच का विवाद है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता विपक्षी सं. 2 और उसके पति से अलग रह रहे हैं, इसलिए, कथित घटना में उनकी कोई भूमिका नहीं है, तथापि, उनके खिलाफ शिकायत याचिका में कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है। इसके बाद याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि निचली विद्वान न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं के खिलाफ बिना सोचे समझे और न्यायिक विवेक का प्रयोग किये बिना संज्ञान लिया है, इसीलिए ऐसे रद्द किया जाना आवश्यक है।

4. *इसके विपरीत*, राज्य के विद्वान स. लो. अ.और विपक्षी पक्ष सं. 2 के विद्वान अधिवक्ता ने यद्यपि वर्तमान याचिका का पुरजोर विरोध किया है, तथापि वे यह नहीं दिखा पाए हैं कि कथित घटना में याचिकाकर्ताओं की कोई विशिष्ट भूमिका है और इसके विपरीत, उन्होंने स्वीकार किया है कि दिनांक 03.01.2017 का आदेश एक गुप्त आदेश है और यह नहीं दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं के लिए इसमें कोई सामग्री उपलब्ध है ताकि कथित अपराधों का संज्ञान लिया जा सके, जबकि इसे बिना किसी विवेक के, बिना सोचे समझे पारित किया गया है।

5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख पर मौजूद सामग्री का अवलोकन किया है।

6. इस मोड़ पर, इस मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***प्रीति गुप्ता बनाम झारखंड राज्य*** मामले दिए गए निर्णय का उल्लेख करना प्रासंगिक होगा जो ***2010 (7) एस. सी. सी., 667, में रिपोर्ट किया गया*** था जिसके अनुच्छेद सं. 21, 23 से 26, 29, 32, 34,

35 और 39, नीचे प्रस्तुत किये गए हैं:-

"21. कर्नाटक राज्य बनाम एल. मुनिस्वामी मामले में इस न्यायालय ने कहा कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत प्रदत्त पूर्ण शक्ति उच्च न्यायालय को किसी कार्यवाही को रद्द करने का अधिकार देती है जब वह इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कार्यवाही को जारी रखने की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा या न्याय के उद्देश्यों के लिए आवश्यक है कि कार्यवाही को रद्द कर दिया जाये। उच्च न्यायालयों को दीवानी और आपराधिक दोनों मामलों में एक हितकारी सार्वजनिक उद्देश्य प्राप्त करने के लिए अंतर्निहित शक्तियां प्रदान की गई है। किसी भी न्यायालय कार्यवाही को उत्पीड़न या उत्पीड़न के हथियार में बदलने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। इस मामले में, न्यायालय ने कहा कि न्याय के उद्देश्य केवल कानून के उद्देश्यों से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं, हालांकि न्याय विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों के अनुसार ही किया जाना चाहिए। इस मामले का इस न्यायालय और अन्य न्यायालयों के बाद के कई मामलों में अनुसरण किया गया है।

23. माधवराव जीवाजीराव सिंधिया बनाम संभाजीराव चंदरोजीराव आंग्रे के मामले में इस न्यायालय ने एस. सी. सी. अनु. 7 में निम्नलिखित टिप्पणी कीः(एस. सी. सी. पृ. 695)

> *"7. कानूनी स्थिति अच्छी तरह से तय की गई है कि जब प्रारंभिक चरण में किसी अभियोजन को रद्द करने के लिए कहा जाता है, तो न्यायालय द्वारा लागू किया जाने वाला परीक्षण यह है कि क्या लगाए गए निर्विवाद आरोप प्रथम दृष्टया अपराध को स्थापित करते हैं। न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना चाहिए कि किसी विशेष मामले में दिखाई देने वाली कोई भी विशेष विशेषता इस बात पर विचार विचार करने के लिए हैं कि क्या अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देना समीचीन और न्याय के हित में है। यह इस आधार पर*

है कि न्यायालय का उपयोग किसी भी अप्रत्यक्ष उद्देश्य के लिए नहीं किया जा सकता है और जहां न्यायालय की राय में अंतिम दोषसिद्धि की संभावनाएँ कम हैं और इसलिए, आपराधिक अभियोजन को जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य पूरा होने की संभावना नहीं है, न्यायालय किसी मामले के विशेष तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कार्यवाही को भी रद्द कर सकती है, भले ही वह प्रारंभिक चरण में ही क्यों न हो।"

24. हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल मामले में, इस न्यायालय ने अध्याय XIV के तहत दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में "दं. प्र. सं.") के विभिन्न प्रासंगिक प्रावधानों की व्याख्या और भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्ति या धारा 482 दं. प्र. सं. के तहत अंतर्निहित शक्तियों के प्रयोग से संबंधित निर्णयों की एक श्रृंखला में और इस न्यायालय द्वारा प्रतिपादित कानून के सिद्धांतों ने उदाहरण के तौर पर निम्नलिखित श्रेणियों के मामले दिए जिनमें ऐसी शक्ति का प्रयोग या तो न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के उद्देश्यों को सुरक्षित करने के लिए किया जा सकता है। इस प्रकार, इस न्यायालय ने यह स्पष्ट कर दिया कि किसी भी सटीक, स्पष्ट रूप से परिभाषित और पर्याप्त रूप से व्यवस्थित और लचीले दिशानिर्देशों या कठोर सूत्रों को निर्धारित करना और असंख्य प्रकार के मामलों की एक विस्तृत सूची देना संभव नहीं हो सकता है जिसमें ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिएः

(1) जहां प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें सतही रूप से सही मन लिया जाये और उन्हें पूरी तरह से स्वीकारकर लिया जाये, प्रथम दृष्टया कोई अपराध नहीं बनता है या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनता है।

(2) जहां प्राथमिकी और अन्य सामग्री, यदि कोई हो, में दिए गए आरोप,

प्राथमिकी के साथ, किसी संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करते हैं, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा धारा 156 (1) के तहत जांच को उचित ठहराया जा सकता है, सिवाय इसके कि संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में दंडाधिकारी के आदेश के तहत जाँच की जाये।

(3) जहाँ प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी अपराध के होने का खुलासा नहीं करता है और आरोपी के खिलाफ कोई मामला नहीं बनाता है।

(4) जहां, प्राथमिकी में लगाए गए आरोप एक संज्ञेय अपराध नहीं हैं, बल्कि केवल एक गैर-संज्ञेय अपराध हैं, वहां संहिता की धारा 155 (2) के तहत दंडाधिकारी के आदेश के बिना एक पुलिस अधिकारी द्वारा किसी भी जांच की अनुमति नहीं दी जाती है।

(5) जहाँ प्राथमिकी या शिकायत में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं जिनके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुँच सकता है कि आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

(6) जहां संबंधित संहिता या अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही शुरू की गई है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही को जारी रखने पर कोई स्पष्ट क़ानूनी प्रतिबन्ध लगाया गया हो और/या जहां सम्बंधित संहिता या अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत का प्रभावी निवारण प्रदान करता हो।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण तरीके से

देखा जाता है और/या जहां कार्यवाही दुर्भावनापूर्ण तरीके से आरोपी से बदला लेने के लिए और निजी और व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे नुकसान पहुंचने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।"

25. जी. सागर सूरी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में, इस न्यायालय ने कहा कि यह आपराधिक न्यायालय का कर्तव्य और दायित्व है कि वह प्रक्रिया को जारी करने में बहुत सावधानी बरतें, विशेष रूप से जब मामले अनिवार्य रूप से दीवानी प्रकृति के हों।

26. इस न्यायालय ने, झंडू फार्मास्युटिकल वर्क्स लिमिटेड बनाम मोहम्मद शराफुल हक मामले ने इस प्रकार कहा कि:

> *"8. ... किसी भी ऐसी कार्रवाई की अनुमति देना न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय हो और न्याय को बढ़ावा देने में बाधा आए। शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायालय किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए उचित होगी यदि उसे लगता है कि इसकी शुरुआत/निरंतरता न्यायालय की प्रक्रिया का दुरुपयोग है या इन कार्यवाही को रद्द करने से अन्यथा न्याय का उद्देश्य पूरा नहीं होगा। जब शिकायत द्वारा किसी अपराध का खुलासा नहीं किया जाता है, तो न्यायालय तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी शिकायत को रद्द करने की मांग की जाती है, तो यह आकलन करने के लिए सामग्री की जाँच करने की अनुमति है कि शिकायतकर्ता ने क्या आरोप लगाया है और क्या कोई अपराध बनता है, भले ही आरोप पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों।"*

29. यह सच है की, अपीलकर्ता 1, नवासरी, सूरत, गुजरात की स्थायी निवासी है और सात साल से अधिक समय से अपने पति के साथ रह रही है। इसी तरह, अपीलकर्ता 2, महाराष्ट्र के गोरेगांव का स्थायी निवासी है। वे उस स्थान पर कभी नहीं गए जहाँ कथित घटना हुई थी। वे कभी भी उत्तरदाता 2 और उसके पति के साथ नहीं रहे थे। शिकायत में उनका आरोप पति के रिश्तेदारों को परेशान करने और अपमानित करने

के लिए लगाया गया है। अपीलकर्ताओं के खिलाफ यह शिकायत दर्ज करने का यही एकमात्र आधार प्रतीत होता है। शिकायतकर्ता को इस शिकायत को आगे बढ़ाने की अनुमति देना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

32. यह एक सामान्य अनुभव की बात है कि भा. दं. सं. की धारा 498-ए के तहत इनमें से अधिकांश शिकायतें उचित विचार-विमर्श के बिना तुच्छ मुद्दों पर तात्कालिक आवेश में दर्ज की जाती हैं। हमें बड़ी संख्या में ऐसी शिकायतें देखने को मिलती हैं जो वास्तविक भी नहीं होती हैं और अस्पष्ट उद्देश्य से दर्ज की जाती हैं। साथ ही, दहेज उत्पीड़न के वास्तविक मामलों की संख्या में तेजी से वृद्धि भी गंभीर चिंता का विषय है।

34. दुर्भाग्य से, शिकायत दर्ज करने के समय शिकायतकर्ता द्वारा इसके निहितार्थों और परिणामों की ठीक से कल्पना नहीं की जाती है कि इस तरह की शिकायत से शिकायतकर्ता, आरोपी और उसके करीबी रिश्तेदारों को असहनीय उत्पीड़न, यातना और पीड़ा हो सकती है।

35. न्याय का अंतिम उद्देश्य सच्चाई का पता लगाना और दोषियों को दंडित करना और निर्दोष लोगों की रक्षा करना है। इनमें से अधिकांश शिकायतों में सच्चाई का पता लगाना एक कठिन कार्य है। पति और उसके सभी निकट संबंधों को फंसाने की प्रवृत्ति भी असामान्य नहीं है। कभी-कभी, आपराधिक मुकदमे के समापन के बाद भी, वास्तविक सच्चाई का पता लगाना मुश्किल होता है। न्यायालयों को इन शिकायतों से निपटने में बेहद सावधान और सतर्क रहना होगा और वैवाहिक मामलों से निपटने के दौरान व्यावहारिक वास्तविकताओं को ध्यान में रखना चाहिए। पति के करीबी रिश्तेदारों के उत्पीड़न के आरोपों का रंग पूरी तरह से अलग होगा, जो अलग-अलग शहरों में रह रहे थे और कभी भी उस स्थान पर नहीं गए या शायद ही कभी गए जहां

शिकायतकर्ता रहता था। शिकायतकर्ता के आरोपों की जांच बहुत सावधानी और सतर्कता से की जानी चाहिए।

39. जब मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूर्ववर्ती पैराग्राफ में निर्धारित कानूनी सिद्धांतों की पृष्ठभूमि में विचार किया जाता है, तो अपीलकर्ताओं को आपराधिक मुकदमे की कठोरता से गुजरने के लिए मजबूर करना अनुचित होगा। न्याय के हित में, हम अपीलकर्ताओं के खिलाफ शिकायत को रद्द करना उचित समझते हैं। परिणामस्वरूप, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को रद्द किया जाता है।

परिणामस्वरूप, इस अपील की अनुमति दी जाती है।"

7. यह न्यायालय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***गीता मेहरोत्रा और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और एक अन्य,*** के मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करेगा जो ***(2012) 10 एस. सी. सी. 741 में दर्ज किया गया*** है।

8. इस न्यायालय ने पाया कि विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 03.01.2017 का आक्षेपित आदेश, जिसके तहत भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (ए) और 379 के तहत संज्ञान लिया गया है, बिना किसी विवेक के विषय-वस्तु पर प्रचलित कानून पर विचार किए बिना पारित किया गया है, और इसमें याचिकाकर्ताओं सहित व्यक्तिगत आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर विचार नहीं किया गया है। मामले के अभिलेखों से यह भी स्पष्ट है कि यहाँ याचिकाकर्ता विपक्षी पक्ष सं. 2 (शिकायतकर्ता) के ससुराल वाले हैं, जो अलग-अलग और एक अलग जगह पर रहते हैं, और उनका विपक्षी पक्ष सं. 2 से कोई लेना-देना नहीं है, जो मामले के तथ्यों से स्पष्ट है और इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं पर किसी भी प्रकार के हमले, दुर्व्यवहार या दहेज की मांग का कोई विशिष्ट आरोप नहीं लगाया गया है और न ही यह बताया गया है कि याचिकाकर्ताओं ने विपक्षी पक्ष सं. 2 को कैसे, कहाँ और कब प्रताड़ित किया था या उससे दहेज की मांग की और इसके

विपरीत, मुझे लगता है कि विपक्षी पक्ष सं. 2 द्वारा याचिकाकर्ताओं के खिलाफ केवल एक सामान्य और व्यापक आरोप लगाया गया है, जो स्पष्ट रूप से अप्रत्यक्ष उद्देश्यों से और संभवतः सौदेबाजी की शक्ति बढ़ाने के उद्देश्य से लगाया गया है।

9. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, साथ ही ***प्रीति गुप्ता (उपरोक्त) और गीता मेहरोत्रा (उपरोक्त),*** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून पर भी विचार करते हुए यह न्यायालय पाता है कि याचिकाकर्ताओं को आपराधिक मुकदमे की कठोरता से गुजरने के लिए मजबूर करना अनुचित होगा और अन्यथा भी, मैं पाता हूं कि दिनांक 03.01.2017 का आदेश, जिसके द्वारा याचिकाकर्ताओं के संबंध में नीचे दी गई न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है, विकृत है और बिना किसी विवेक के बिना सोचे समझे पारित किया गया है, इसलिए इसे रद्द करने की आवश्यकता है। इस संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ***पेप्सी फूड्स लिमिटेड बनाम विशेष न्यायिक दंडाधिकारी,*** के मामले में जो ***(1998) 5 एस. सी. सी. 749 में दर्ज*** है, और ***महमूद उल रहमान बनाम खजीर मोहम्मद टुंडा,*** जो ***(2015) 12 एस सी सी 420 में दर्ज*** है, में दिए गए निर्णयका उल्लेख किया जाना चाहिए। मामले के किसी भी दृष्टिकोण से, शिकायत याचिका का केवल अवलोकन से पता चलता है कि उसमें लगाए गए आरोप *प्रथम दृष्टया* कोई अपराध नहीं हैं जिससे याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कोई मामला बनाया जा सके।

10. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए और ऊपर उल्लिखित कारणों से, मैं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, सासाराम (रोहतास) द्वारा 2016 का शिकायत वाद संख्या 941 (2017 का विचारण सं. 702) के संबंध में यहां याचिकाकर्ताओं के विरुद्ध पारित दिनांक 03.01.2017 के आदेश को रद्द करना उपयुक्त और उचित समझता हूं।

11. वर्तमान याचिका स्वीकार की जाती है।

(मोहित कुमार शाह, न्यायमूर्ति)

रिंकी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।